न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 495 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. विनोद बिश्नोई पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर
2. विरेन्द्र बिश्नोई पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर
3. हरिशंकर पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र महीराम जाति बिश्नोई निवसी संगरिया हाल बीकानेर
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादीगण का पिता प्रतिवादी सं. 1 चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 5 / 4 में कुल खाता 2.190है. में से 1013 / 2190 हिस्सा व खाता सं. 45 / 32 में कुल खाता 3.864है. में से 2267 / 3864 हिस्सा व खाता सं. 121 / 33 में कुल खाता 0.228है. का खातेदार काश्तकार था। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 16.03.2024 को अपनी उपरोक्त समस्त कृषि भूमि जरिए दानपत्र वादीगण को बहिब देकर दान पत्र उपपंजीयक संगरिया से तस्दीक करवा दिया था। नकल दानपत्र हमराह दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 5 / 4 की 1013 / 2190 हिस्सा व खाता सं. 45 / 32 की 2267 / 3864 हिस्सा का माननीय न्यायालय द्वारा खाता तकसीम की डिग्री आदेशानुसार उक्त कृषि भूमि चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 132 / 5 में प. नं. 181 / 176 मु.नं. 6 कि.नं. 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाला व प.नं. 181 / 177 मु.नं. 16 कि.नं. 6 / 1 / 0.228है. 6 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाला 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाला व प.नं. 182 / 176 मु.नं. 5 कि.नं. 18,19,22 / 0.759है., 23 / 1 / 0.215है. 23 / 2 / 0.038है. गै.मु. रास्ता 24 / 1 / 0.076, 24 / 2 / 0.038है गै.मु. रास्ता प.नं. 182 / 177 मु.नं. 17 कि.नं. 1 / 5 / 0.030है. 1 / 6 / 0.005है. गै.मु. रास्ता, 10 / 4 / 0.030है. कुल खाता 1.950है. में पेमूद हुई नकल जमाबंदी चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 132 / 5 हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी समस्त कृषि [illegible] को बहिब देकर दानपत्र वादीगण के पक्ष में तस्दीक करवा दिया है। इसलिए [illegible] के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 132 / 5 में कुल खाता [illegible]0है. व इसी चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 121 / 33 में कुल खाता [illegible] तों में कुल 2.178है. नहरी कृषि भूमि के वादीगण खातेदासर काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय कि मुताबिक दानपत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.09 14:55:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गई कृषि भूमि का हम वादीगण को बहिब विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे व अनुसार राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अमल दरामद करवा देवे किंतु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एंव अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया यही विनाय दावा है। वादीगण अपने पिता प्रतिवादी नं. 1 से अलग अलग रहकर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु व भूमि सुधार करने व बीज खाद हेतु बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है। किंतु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम होने के कारण वादीगण को अनावश्यक परेशानियां होती है। अतः वादीगण को मुताबिक दानपत्र के वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकर घोषित नहीं किया गया तो हम वादीगण को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी सं. 2 से किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है, भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक का है। जो दो रूपए के शुल्क पर प्रस्तुत है। जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण चक न . 1 एमजेडी खाता सं. 132/5 में कुल खाता 1.950है. व इसी चक नं. 1 एमजेडी के खाता सं. 121/33 में कुल खाता 0.228है. के बहिब के विरास्तन खातेदार काश्तकार है। चक नं. 1 एमजेडी खाता सं. 132/5 व खाता सं. 121/33 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हरिशंकर ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक नं. 1 एमजेडी के खाता सं. 132/5 व 121/33 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–1 करवाई है [illegible] उपहार पत्र (दान–पात्र) की फोटोप्रति पेश की गई है। जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं. 1 एमजेडी के खाता सं. 132/5 व 121/33 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी संख्या 1 आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है तथा वादीगण के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक नं. 1 एमजेडी के खाता सं. 132/5 व 121/33 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में एकतनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादीगण को चक 1 एमजेडी जमाबंदी सं. 2070–73 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 132/5 में 1.950 है. व इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 121/33 मे 0.228 है. वहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.09 14:55:13 I
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 495 / 2024

1. विनोद बिश्नोई पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर
2. विरेन्द्र बिश्नोई पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर
3. हरिशंकर पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र महीराम जाति बिश्नोई निवसी संगरिया हाल बीकानेर
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को चक 1 एमजेडी जमाबंदी सं. 2070–73 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 132 / 5 में 1.950 है. व इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 121 / 33 मे 0.228 है.बहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत् ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.08.2024 को जारी किया गया।

राकेश कुमार
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:13 IST
Reason: SelfAttested